

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड  
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या /र0ख0लॉ0/ई0नी0/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2023-24

दिनांक 01 मार्च, 2024

विज्ञापितकरण कार्यालय ज्ञांप

औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24 ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली 2023 के अध्याय-4 नियम-20 (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य के विभिन्न जनपदों के नदीतल राजस्व क्षेत्रों में उपनियम (4) के अनुसार गठित समिति द्वारा जनपदवार चिन्हित रिक्त उपखनिज क्षेत्रों/लॉटों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वारा उपनियम (2) में निर्धारित अवधि के लिए खनिज परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नवत विज्ञापित किये जाने की घोषणा की जाती है:-

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्रफल (है० में)	भूमि की श्रेणी	मात्रा (टन में)	खनिज का प्रकार
जनपद- पिथौरागढ़								
1.	गंगोलीहाट	जड़तोला पट्टी चमडुगंरा	रामगंगा	खाता सं० 33, ख०नं० 946 कुल रकवा 1.653 है०, मध्ये रकवा 0.880 है०	0.880	राजस्व	39,600	आर०बी०एम०

उपरोक्तानुसार घोषित रिक्त क्षेत्र/लॉट से उपखनिजों के खनन/चुगान हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(एस० एल० पैट्रिक)  
निदेशक

संख्या: 6554 /र0ख0लॉ0/ई0नी0/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2023-24 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, औद्योगिक विकास (खनन), उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल कुमांऊ मण्डल नैनीताल।
3. जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
4. नोडल अधिकारी, आई०टी०, भूतत्व एवं खनिकर्म को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

  
(एस० एल० पैट्रिक)  
निदेशक